**ऋषिङ्ग गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन**

ऋषिङ्ग गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम गाउँ ऋषिङ्ग गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः** (१) यस ऐनको नाम “आर्थिक ऐन, २०७५” रहेको छ ।

(२) यो ऐन २०७५ साल श्रावण १ गतेदेखि ऋषिङ्ग गाउँ क्षेत्रमा लागू हुनेछ ।

२. **सम्पति करः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूचि (१) बमोजिम एकिकृत सम्पत्ति कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

३. **घर वहाल करः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै आंशिक तवरले वहालमा दिएकोमा अनुसूचि (२) बमोजिम घर जग्गा वहाल कर लगाइने र असूल गरिनेछ ।

४. **व्यवसाय करः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोवारका आधारमा अनुसूचि (३) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

५. **जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटी, वनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जीवजन्तु वाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता बस्तुको व्यवसायिक कारोवार गरेवापत अनुसूचि (४) बमोजिमको कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

६. **सवारी साधन करः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा अनुसूचि (५) बमोजिम सवारी साधन कर लगाइने छ र उक्त कर सम्बन्धित प्रदेशले असुल गरी अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय तहको विभाज्य कोष मार्फत गाउँपालिकाको सञ्चित कोषामा वाँडफाँड गर्नुपर्नेछ ।

७. **विज्ञापन करः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूचि (६) बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ । ।यसरी कर संकलन गर्दा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम सम्बन्धित प्रदेशले निर्धारण गरेको विज्ञापन कर समेत संकलन गरी प्रदेश विभाज्य कोषमा राजश्व बाँडफाँड गर्नुपर्नेछ ।

८. **मनोरन्जन करः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने मनोरन्जन व्यवसाय सेवामा अनुसूचि (७) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ । ।यसरी कर संकलन गर्दा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन,

२०७४ बमोजिम सम्बन्धित प्रदेशले निर्धारण गरेको मनोरञ्जन कर समेत संकलन गरी प्रदेश विभाज्य कोषमा राजश्व बाँडफाँड गर्नुपर्नेछ ।

९. **बहाल बिटौरी शुल्कः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र आफुले निर्माण, रेखदेख वा संचालन गरेका हाटबजार, पसल वा सरकारी जग्गामा अनुसूचि .८० मा उल्लेख भए अनुसार बहाल बिटौरी शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

१०. **पार्किङ शुल्कः** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए वापत अनुसूचि .९० बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।

११. **ट्रेकिङ्ग, कोयोकिङ, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग, जिपफ्लायर र ऱ्याफ्टीङ्ग शुल्कः** गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र ट्रेकिङ्ग, कायोकिङ, क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग, जिपफ्लायर र ऱ्याफ्टीङ्ग सेवा वा व्यवसाय संचालन गरेवापत अनुसूचि .१०० बमोजिमको शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

१२. **सेवा शुल्क, दस्तुरः** गाउँपालिकाले निर्माण, संचालन वा व्यवस्थापन गरेका अनूसूचि .११० मा उल्लिखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचिमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

१३. **पर्यटन** प्रवेश **शुल्कः** गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र निर्माण गरेका उद्धान, पार्क, चिडियाखाना, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा, संग्राहलय जस्ता सम्पदा उपयोग गरेबापत पर्यटकहरुवाट अनुसूची .१२० मा उल्लिखित दरमा पर्यटन प्रवेश शुल्क लगाईने र असुल उपर गरिनेछ ।

१४. **सडक मर्मत शुल्क तथा नक्सा पास दस्तुर** : गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र अनुसूची (१३) मा उल्लिखित दरमा सडक मर्मत शुल्क तथा नक्सा पास दस्तुर लगाउने र असुल उपर गर्नेछ ।

१५. **कर छुटः** यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई कुनै पनि किसिमको कर छुट दिईने छैन ।

१६. **कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधिः** यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धि कार्यविधि गाउँपालिकाले तोके अनुसार हुनेछ ।

**अनुसूची -१ (एकीकृत सम्पत्ति कर)**

ऋषिङ्ग गाउँपालिका क्षेत्रमा आ.व. २०७५/७६ मा लगाइने एकीकृत सम्पत्ति करको दर एकीकृत सम्पत्ति कर सम्बन्धी ऐन र नियममा व्यवस्था भए बमोजिम लगाइने र असुल उपर गरिने छ।

**अनुसूची २ (घरबहाल कर)**

गाउँपालिका क्षेत्रभित्र घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, सेड (छप्पर) कारखाना, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक रुपमा बहालमा दिएकोमा सम्बन्धित धनीबाट बहाल रकमको १ प्रतिशत बहाल कर लिइनेछ। बहाल कर संकलन सम्बन्धी कार्यविधि गाउँकार्यपालिकाले तोके बमोजिम हुनेछ।

**अनुसूची ३ (व्यवसाय कर)**

गाउँपालिका क्षेत्रभित्र आ.व. २०७५/७६ मा लगाइने व्यवसाय करको दर देहायबमोजिम रहेको छ।

| सि.नं. | व्यवसायको नाम तथा किसिम | आ.व. २०७५/७६ को करका दरहरु (रु) |
|---|---|---|
| | | |
| **१.** | **रक्सी, ज्वेलरी, भिडियो, क्यासेट रिकर्डर तथा प्लेयर आदिको थोक तथा खुद्रा व्यापारमा** | |
| **१.१** | **ज्वेलरी, रक्सी एवं भिडियो पसल** | |
| १.१.१ | ज्वेलरी (गहना पसल) ठूलो | ३००० |
| १.१.२ | ज्वेलरी (गहना पसल) मध्यम | २५०० |
| १.१.३ | ज्वेलरी (गहना पसल) सानो | २००० |
| १.१.४ | रक्सी पसल | ३००० |
| १.१.५ | भिडियो क्यासेट रिकर्डर तथा प्लेयर पसल | १००० |
| **१.२** | **निर्माण सामाग्री, कम्प्युटर, विद्युत सामान, क्यामेरा, टेलिभिजन, रेडियो, कार्पेट, पेट्रोलियम पदार्थ जस्ता बस्तुको थोक तथा खुद्रा व्यापारमा** | |
| १.२.१ | हार्डवयर पसल (ठूलो) | २००० |
| १.२.२ | हार्डवयर पसल (मध्यम) | १७०० |
| १.२.३ | हार्डवयर पसल (सानो) | १५०० |
| १.२.४ | रंगरोगन तथा सिसा पसल (ठूलो) | २००० |
| १.२.५ | रंगरोगन तथा सिसा पसल (सानो) | १५०० |
| १.२.६ | कम्प्युटर पसल | ३००० |
| १.२.७ | इलेक्ट्रीकल (विजुलीका सामान, क्यामेरा, रेडियो, टेलिभिजन) पसल | १५०० |
| १.२.८ | मोवाइल पसल | १००० |

| | | |
|---|---|---|
| १.२.८ | घडी पसल | १००० |
| १.२.९ | फर्निचर तथा फिक्चर्स (कार्पेट समेत)पसल | १२०० |
| **१.३** | **दैनिक उपभोगका खाद्य पदार्थ सुती कपडा, आदिको थोक तथा खुद्रा व्यापारमा** | |
| १.३.१ | किराना पसल (ठूलो) | १००० |
| १.३.२ | किराना पसल (मध्यम) | ७०० |
| १.३.३ | किराना पसल (सानो) | ५०० |
| १.३.४ | फलफूल तथा तरकारी पसल (ठूलो) | १००० |
| १.३.५ | फलफूल तथा तरकारी पसल (मध्यम) | ७०० |
| १.३.६ | फलफूल तथा तरकारी पसल (सानो) | ५०० |
| १.३.७ | सुती, ऊनी, नाइलन कपडा पसल (ठूलो) | १००० |
| १.३.८ | सुती, ऊनी, नाइलन कपडा पसल (मध्यम) | ७०० |
| १.३.९ | सुती, ऊनी, नाइलन कपडा पसल (सानो) | ५०० |
| १.३.१० | फेन्सी पसल (ठूलो) | १००० |
| १.३.११ | फेन्सी पसल (मध्यम) | ७०० |
| १.३.१२ | फेन्सी पसल (सानो) | ५०० |
| **१.४** | **सवारी साधन विक्रेता** | |
| १.४.१ | साइकल | २००० |
| १.४.२ | मोटर साइकल, स्कुटर | ५००० |
| १.४.३ | ट्रयाक्टर ठूलो | ६००० |
| १.४.४ | ट्रयाक्टर पावर ट्रेलर | ५००० |
| १.४.५ | चारपांग्रे हलुका सवारीहरु | १०००० |
| १.४.६ | बस तथा ट्रक | १५००० |
| **२** | **विशेषज्ञ, परामर्श तथा अन्य व्यावसायिक सेवा** | |
| **२.१** | **चिकित्सक** | **२०००** |
| **२.२** | **कविराज** | **१०००** |
| **२.३** | **इन्जिनियर** | **२०००** |
| **२.४** | **कानून व्यवसायी** | **२०००** |
| **२.५** | **लेखा परिक्षक** | |
| २.५.१ | क वर्ग | २५०० |
| २.५.२ | ख वर्ग | २००० |
| २.५.३ | ग वर्ग | १५०० |
| २.५.४ | घ वर्ग | १००० |
| **२.६** | **दन्त चिकित्सक** | **२०००** |
| **२.७** | **अनुसन्धानकर्ता तथा परामर्शदाता** | **२०००** |
| **२.८** | **कम्प्युटर एनालिष्ट तथा प्रोग्रामर** | **२०००** |
| **२.९** | **विमा एजेन्ट** | **१५००** |
| **२.१०** | **सर्भेयर** | **१५००** |

| | | |
|---|---|---|
| **२.११** | **अनुवादक** | **१५००** |
| **२.१२** | **पशु चिकित्सक** | **१५००** |
| **२.१३** | **शेयर दलाल** | **२०००** |
| **२.१४** | **सामान ढुवानीकर्ता** | **२०००** |
| **२.१५** | **संस्थागत पेन्टर** | **५०००** |
| **३** | **निर्माण व्यवसाय :** | |
| ३.१ | क वर्ग | ८००० |
| ३.२ | ख वर्ग | ७००० |
| ३.३ | ग वर्ग | ६००० |
| ३.४ | घ वर्ग | ५००० |
| **४** | **उत्पादनमूलक उद्योग : कोरा माल वा अर्ध प्रशोधित माल वा खेर गईरहेको माल सामानको वा अन्य माल सामान प्रयोग वा प्रशोधन गरी माल सामान उत्पादन गर्ने उद्योग व्यवसायमा** | |
| ४.१ | चाउचाउ उद्योग | ३५०० |
| ४.२ | मैनवत्ति उद्योग | २००० |
| ४.३ | कापी उद्योग | २००० |
| ४.४ | विस्कुट उद्योग | २००० |
| **५** | **उर्जामूलक उद्योग : जलश्रोत, वायु, सौर्यशक्ति, कोइला, प्राकृतिक तेल, ग्याँस, वायोग्याँस तथा अन्य श्रोतहरुबाट उर्जा पैदा गर्ने उद्योग व्यवसायमा** | |
| ५.१ | हाइड्रो पावर | २५००० |
| ५.२ | वायु, सौर्य शक्ति, कोइला उद्योग | १०००० |
| **६** | **कृषि तथा वनजन्य उद्योग : मूलत कृषि वा वन पैदावारमा आधारित उद्योग व्यवसायमा** | |
| ६.१ | तेल पेल्ने मिल | १५०० |
| ६.२ | कुटानी पिसानी मिल | १५०० |
| ६.३ | फर्निचर उद्योग (ठूलो) | ७००० |
| ६.४ | फर्निचर उद्योग (सानो) | ५००० |
| ६.५ | पशु दाना उद्योग | २५०० |
| ६.६ | पोल्ट्री फर्म | २५०० |
| ६.७ | वंगुरपालन व्यवसाय | २५०० |
| ६.८ | भैंसीपालन व्यवसाय | २००० |
| ६.९ | गाइपालन व्यवसाय | २००० |
| ६.१० | बाख्रापालन व्यवसाय | १५०० |
| ६.११ | स-मिल | ५००० |
| ६.१२ | जुस तथा अन्य जुस जन्य पेयपदार्थ उद्योग | २५०० |

| | | |
|---|---|---|
| **७** | **खनिज उद्योग : खनिज उत्खनन वा प्रशोधन गर्ने उद्योग व्यवसायमा** | **५०००** |
| **८** | **पर्यटन उद्योग : पर्यटक आवास, मोटेल, होटेल, रेष्टुरा, रिसोर्ट, ट्राभल एजेन्सी, स्कीइङ, ग्लाइडिङ, वाटर र्‍याफ्टिङ्ग, पोनी ट्रेकिङ, पदयात्रा, हटएयर ब्यालुनिङ, प्यारा ग्लाइडिङ, प्यारा सेलिङ, गल्र्फकोर्स, पोलो, अश्वारोहण आदि उद्योग व्यवसायमा** | |
| ८.१ | होटेल (ठूलो) | २५०० |
| ८.२ | होटेल (मध्यम) | १५०० |
| ८.३ | होटेल (सानो) | १००० |
| ८.४ | अन्य स-साना चिया, खाजा तथा खाना पसल | ५०० |
| ८.५ | क्याफे | १५०० |
| ८.६ | रेष्टुरेण्ट | १००० |
| ८.७ | लज | १००० |
| ८.८ | गजल रेष्टुरेण्ट (दोहोरी साँझ समेत) | ५००० |
| **९** | **सेवा उद्योग : छापाखाना, परामर्श सेवा, जिनिङ्ग तथा वेलिङ्ग व्यवसाय, सार्वजनिक परिवहन व्यवसाय, फोटोग्राफी, प्रयोगशाला, हवाइ सेवा, शीत भण्डार आदि उद्योग व्यवसायमा** | |
| ९.१ | अफसेट प्रेस | २५०० |
| ९.२ | लेटर प्रेस | १५०० |
| ९.३ | चलचित्र भिडियो | ३००० |
| ९.४ | सार्वजनिक परिवहन सेवा (गाउँपालिका भित्र प्रधान कार्यालय भएको) | ५००० |
| ९.५ | सार्वजनिक परिवहन सेवा (गाउँपलिकाभित्र शाखा कार्यालय भएको) | ३००० |
| ९.६ | फोटोग्राफी | १५०० |
| ९.७ | प्रयोगशाला | १५०० |
| ९.८ | चावी निर्माण | १००० |
| **१०** | **निर्माण उद्योग : सडक, पुल, रापवे, रेलवे, ट्रलिबस, टनेल, फ्लाइड वृज तथा औद्योगिक, व्यापारिक एवं आवास कम्प्लेक्स आदि निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने उद्योग व्यवसायमा** | |
| १०.१ | सिमेन्ट ब्लक उद्योग | ३००० |
| १०.२ | मेटल/आलमुनियम/ग्रिल उद्योग | ३००० |
| १०.३ | इट्टा उद्योग (चिम्नि) | ३००० |
| १०.४ | इट्टा उद्योग (साधारण) | १५०० |
| **११** | **सञ्चार सेवा** | |

| | | |
|---|---|---|
| **११.१** | **निजी क्षेत्रको हुलाक सेवा** | **१०००** |
| **११.२** | **निजी क्षेत्रका टेलिफोन, फ्याक्स सेवा, फोटोकपी, मोवाइल फोन, आइएसडी, एसटीडी, इमेल, इन्टरनेट, रेडियो पेजिङ आदि** | |
| ११.२.१ | निजी टेलिफोन तथा फ्याक्स, इमेल, इन्टरनेट सेवा | १००० |
| ११.२.२ | फोटोकपी तथा प्रिन्टर सेवा | ७०० |
| ११.२.३ | साइवर सेवा | १००० |
| **११.३** | **कुरियर सेवा** | **१०००** |
| **११.४** | **छपाइ तथा प्रकाशन** | **२०००** |
| **१२** | **वित्तीय सेवा** | |
| **१२.१** | **नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको बाहेक आर्थिक कारोबार गर्ने वाणिज्य वैंक** | **१००००** |
| **१२.२** | **आर्थिक कारोवार समेत गर्ने वित्तीय कम्पनीको मुख्य कार्यालय** | **८०००** |
| **१२.३** | **वित्तीय कम्पनी शाखा कार्यालय** | **२५००** |
| **१२.४** | **बिमा कम्पनी** | **७०००** |
| **१२.५** | **विदेशी मुद्रा सटही** | **२५००** |
| **१२.६** | **धितोपत्र कारोबार** | **२५००** |
| **१२.७** | **सहकारी वैंक** | **२०००** |
| १२.८ | मनि ट्रान्सफर | २००० |
| १२.९ | निजी क्षेत्रका वाणिज्य वैंकहरु | २००० |
| १२.१० | निजी क्षेत्र समेतको स्वामित्वमा रहेका वैंकका शाखा कार्यालयहरु | १५०० |
| १२.११ | बिमा कम्पनीका शाखा वा सम्पर्क कार्यालयहरु | १५०० |
| १२.१२ | विकास वैंकहरु | १५०० |
| **१३** | **स्वास्थ्य सेवा** | |
| **१३.१** | **गैरसरकारी अस्पताल** | **५०००** |
| **१३.२** | **नर्सिङ्ग होम** | **५०००** |
| **१३.३** | **क्लिनिक तथा ल्याव** | **३०००** |
| १३.४ | सामुदायिक अस्पताल | ३००० |
| १३.५ | निजीस्तरका अस्पताल तथा रिसर्च प्रा.लि. | ३००० |
| १३.६ | होमियोप्याथी तथा प्राकृतिक चिकित्सा क्लिनिक | २५०० |
| १३.७ | औषधी पसल (थोक) जनस्वास्थ्य | २००० |
| १३.८ | औषधी पसल (खुद्रा) जनस्वास्थ्य | १००० |
| १३.९ | औषधी पसल (आयुर्वेदिक) | १००० |
| १३.१० | औषधी पसल (पशुस्वास्थ्य) | १००० |
| १३.११ | पशुपंक्षी दाना पसल | १००० |
| **१४** | **शिक्षा सेवा** | |

| | | |
|---|---|---|
| **१४.१** | **निजी क्षेत्रका स्कुल, क्याम्पस, विश्वविद्यालय** | |
| १४.१.१ | निजी क्षेत्रका क्याम्पस र १०+२ | ५००० |
| १४.१.२ | निजी क्षेत्रका माध्यमिक विद्यालयहरु | ४००० |
| १४.१.३ | निजी क्षेत्रका आधारभूत विद्यालयहरु | ३००० |
| १४.१.४ | निजी क्षेत्रका पूर्व प्रा.वि.स्कूलहरु | २००० |
| १४.१.५ | निजी क्षेत्रका होस्टेलहरु | २००० |
| **१४.२** | **तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्र** | **२५००** |
| **१४.३** | **टाइपिङ्ग, कम्प्युटर तथा भाषा प्रशिक्षण संस्था** | |
| १४.३.१ | कम्प्युटर इन्स्टिच्युट | २००० |
| १४.३.२ | ट्युसन तथा कोचिङ्ग सेन्टर | २००० |
| १४.३.३ | भाषा प्रशिक्षण केन्द्र | १५०० |
| १४.३.४ | सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र | १५०० |
| १४.३.५ | ड्राइभिङ्ग इन्स्टिच्युट | २००० |
| **१४.४** | **अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था** | **४०००** |
| **१५** | **मर्मत संभार सेवा** | |
| **१५.१** | **हेभी इक्विपमेन्ट, बस, ट्रक, कार, मोटर साइकल, टेम्पो, साइकल मर्मत कारखाना** | |
| १५.१.१ | हेभी इक्विपमेन्ट तथा बस, ट्रक, कार मर्मत सम्भार केन्द्र | ३००० |
| १५.१.२ | मोटरसाइकल मर्मत केन्द्र | १००० |
| १५.१.३ | साइकल मर्मत केन्द्र | ५०० |
| **१५.२** | **रेडियो, टि.भी., घडी, प्रेशर कुकर, हिटर, टेलिफोन सेट, विद्युत सामाग्री मर्मत केन्द्र** | |
| १५.२.१ | घडी, रेडियो मर्मत केन्द्र | ५०० |
| १५.२.२ | टि.भी. मर्मत केन्द्र | ७०० |
| १५.२.३ | प्रेसर कुकर, हिटर, टेलिफोन सेट, सिलाइ मेसिन मर्मत | ५०० |
| १५.२.४ | फोटोकपी मेसिन, कम्प्युटर मर्मत | १००० |
| १५.२.५ | अन्य इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रोनिक सामान मर्मत | ५०० |
| **१६** | **अन्य सेवा** | |
| **१६.१** | **विज्ञापन सेवा** | **१५००** |
| **१६.२** | **वैदेशिक रोजगार सेवा** | **५०००** |
| **१६.३** | **स्वदेशी रोजगार सेवा** | **१५००** |
| **१६.४** | **सेक्रेटरियल सेवा** | **१५००** |
| **१६.५** | **हाउजिङ्ग कम्पनी तथा घरजग्गा खरिदविक्री (रियल स्टेट)** | **५०००** |
| **१६.६** | **ब्युटी पार्लर, केश श्रृंगार, ड्राई क्लिनर्स, फोटो स्टुडियो, सिलाई आदि** | |
| १६.६.१ | ब्युटी पार्लर, केश श्रृंगार | ५०० |

| | | |
|---|---|---|
| १६.६.२ | ड्राई क्लिनर्स | ५०० |
| १६.६.३ | फोटो स्टुडियो | ५०० |
| १६.६.४ | टेलर्स (कपडा विक्री समेत) | १००० |
| १६.६.५ | टेलर्स (कपडा विक्री बाहेक) | ५०० |
| **१६.७** | **साइनबोर्ड बनाउने पेन्टिङ्ग सेवा** | **५००** |
| **१६.८** | **पशु वधशाला** | **२०००** |
| **१६.९** | **मासु विक्रेता** | |
| १६.९.१ | मासु पसल मिश्रित | ५०० |
| १६.९.२ | मासु कुखुराको | ५०० |
| १६.९.३ | मासु खसी बोका | ५०० |
| १६.९.४ | मासु राँगा, वंगुर | ५०० |
| १६.९.५ | माछा | ५०० |
| **१६.१०** | **फूल तथा विरुवा विक्रेता** | **५००** |
| **१६.११** | **पुल हाउस** | **१०००** |
| **१६.१२** | **सिसा, प्लाइउड विक्रेता** | **१०००** |
| **१६.१३** | **भाँडाकुँडा विक्रेता** | **१०००** |
| **१६.१४** | **स्टिल, काठ, फर्निचर विक्रेता** | **१५००** |
| **१६.१५** | **खेलौना, उपहार (गिफ्ट) विक्रेता** | **१०००** |
| **१६.१६** | **केबुल, नेटवर्किङ (ग्राहक संख्याको आधारमा)** | **३०००** |
| **१७** | **अन्य व्यवसाय** | |
| **१७.१** | **पार्क, पिकनिकस्पट** | **१०००** |
| **१७.२** | **क्यासिनो** | **५००००** |
| **१७.३** | **टुर अपरेटर** | **३०००** |
| **१७.४** | **मसाज पार्लर** | **३०००** |
| **१८** | **माथिको वर्गीकरणमा नपरेका अन्य विविध व्यवसाय तथा कारोवारहरु** | |
| १८.१ | छालाका जुत्ता पसल | ५०० |
| १८.२ | कपडाका जुत्ता पसल | ५०० |
| १८.३ | छाला जुत्ता निर्माण तथा मर्मत | ५०० |
| १८.४ | चुरा पसल | ५०० |
| १८.५ | चस्मा पसल | ५०० |
| १८.६ | मेशीनरी पार्टपुर्जा पसल | ५०० |
| १८.७ | हजाम पसल | ५०० |
| १८.८ | पान पसल | ५०० |
| १८.९ | डिजिटल कलर ल्याव | १००० |
| १८.१० | कलर ल्याव | १००० |
| १८.११ | फ्लेक्स प्रिन्ट | ५०० |
| १८.१२ | दुग्ध डेरी | ५०० |

| | | |
|---|---|---|
| १८.१३ | दुग्ध चिस्यान केन्द्र | १००० |
| १८.१४ | स्यानीटरी सामानको पसल | १००० |
| १८.१५ | प्लाष्टिक पसल | ५०० |
| १८.१६ | कोल्ड ड्रिंक्स पसल | ५०० |
| १८.१७ | होजियारी उद्योग | ५०० |
| १८.१८ | स्टेशनरी पसल | ५०० |
| १८.१९ | पत्रिका पसल | ३०० |
| १८.२० | मिठाइ पसल | ५०० |
| १८.२१ | भोजनालय | १००० |
| १८.२२ | कृषि विउ विजन पसल | ५०० |
| १८.२३ | एफ एम रेडियो | १००० |
| १८.२४ | ठेकाभाडा पसल | ५०० |
| १८.२५ | माटाका भाडा पसल | ५०० |
| १८.२६ | मादल पसल | ५०० |
| १८.२७ | डाला नाङ्ला पसल | ५०० |
| १८.२८ | सोलार पावर पसल | १००० |
| १८.२९ | मदिराजन्य पसल | ५०० |
| १८.३० | पेपर हेन्डिक्राफ्ट सम्बन्धी पसल | १००० |
| १८.३१ | मिनरल वाटर उद्योग | १००० |
| १८.३२ | पार्टी प्यालेस | ३००० |
| १८.३३ | ढाका बुनाइ | ५०० |
| १८.३४ | टेलिफोन टावर (प्रति टावर) | ५००० |
| १८.३५ | अन्य पसल | ५०० |

**अनुसूची - ४ (जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर)**

गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडीबुटी, वनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानूनले निशेध गरिएको जीवजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता बस्तुको व्यावसायिक कारोवार गरेवापत देहायबमोजिम कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

| क्र.सं. | कारोवारको प्रकृति | आ.व. २०७५/७६ को वार्षिक कर (रु) |
|---|---|---|
| १ | ऊन संकलन र व्यापार | ५०० |
| २ | जडिबुटी संकलन र व्यापार | ५०० |
| ३ | कबाडी | ५०० |
| ४ | खोटो व्यवसाय | ५०० |
| ५ | मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता बस्तुको व्यावसायिक कारोवार | १००० |

**अनुसूची - ५ (सवारी साधन कर)**

गाउँपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा देहायबमोजिम सवारी साधन कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

| क.सं. | सवारी साधनको किसिम | आ.व. २०७५/७६ को करका दरहरु (रु) |
|---|---|---|
| १ | बस, ट्रक, लहरी र अन्य हेभी गाडी | ५०० |
| २ | कार, जीप, भ्यान र ट्रयाक्टर (ठूलो) | ४०० |
| ३ | ट्याक्टर (पावर ट्रेलर), हाते ट्याक्टर, टेम्पो | २०० |
| ४ | मिनीबस, मिनीट्रक | ४५० |
| ५ | स्कुटर, मोटरसाइकल तथा अन्य सवारी | २०० |
| ६ | ठेलागाडा तथा रिक्सा | १०० |
| ७ | ठेलागाडा तथा रिक्सा दर्ता दस्तुर | ५० |

**अनुसूची - ६ (विज्ञापन कर)**

गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा देहायबमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

| क.सं. | विवरण | आ.व. २०७५/७६ को करका दरहरु (रु) |
|---|---|---|
| १ | व्यापारिक विज्ञापन वोर्डहरु निजी जग्गामा राखेवापत प्रति वर्ग फिट | २५ |
| २ | व्यापारिक विज्ञापन वोर्डहरु सार्वजनिक जग्गामा राखेवापत प्रति वर्ग फिट | ५० |
| ३ | व्यावसायिक व्यानर प्रति हप्ता प्रति व्यानर | १०० |
| ४ | व्यावसायिक प्रचारप्रसार गाडीबाट माइकिङ प्रतिदिन | २०० |
| ५ | व्यावसायिक प्रचार प्रसारका लागि अन्य साधन बाट माइकिङ प्रतिदिन | १०० |

**अनुसूची - ७ (मनोरञ्जन कर)**

| क.सं. | मनोरञ्जनका साधनहरु | आ.व. २०७५/७६ मा लगाइने करका दरहरु (रु) |
|---|---|---|
| १ | सिनेमा हल, भिडियो हल, सांस्कृतिक प्रदर्शन स्थल, थिएटर, संगीत तथा मनोरञ्जन प्रदर्शनस्थलको प्रवेश शुल्कमा प्रतिव्यक्ति | ३ |
| २ | जादु, सर्कस, चटक आदिमा प्रतिदिन | २०० |

**अनुसूची - ८ (बहाल बिटौरी शुल्क)**

गाउँपालिका क्षेत्रभित्र गाउँपालिकाले निर्माण, रेखदेख वा सञ्चालन गरेका संरचनामा सञ्चालित हाटबजार वा पसलमा बहाल रकमको १ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम बहाल विटौरी शुल्कको रुपमा लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।

**अनुसूची - ९ (पार्किङ्ग शुल्क)**

गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ्ग सुविधा उपलब्ध गराएबापत देहायबमोजिम पार्किङ्ग शुल्क लगाइने र असुलउपर गरिनेछ ।

| क्र.सं. | सवारी साधन | आ.व. २०७५/७६ मा लगाइने करका दरहरु (रु) |
|---|---|---|
| १ | बस, ट्रक, मिनिबस प्रतिदिन | ३० |
| २ | ट्याक्टर, जीप, ट्याक्सी आदिको प्रतिदिन | २० |
| ३ | मोटरसाइकल, स्कुटर आदिको प्रतिदिन | १० |

**अनुसूची - १०**

गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र ट्रेकिङ्ग, कोयोकिङ्ग, क्यानोइङ्ग, जिपफ्लायर र र्‍याफ्टीङ्ग सेवा वा व्यवसाय सञ्चालन गरेबापत प्रति व्यक्ति प्रति टिकटको १ प्रतिशतले हुन आउने रकम असुल उपर गरिनेछ ।

**अनुसूची - ११ (सेवा शुल्क, दस्तुर)**

| क्र.सं. | सेवाको विवरण | आ.व. २०७५/७६ मा लगाइने सेवा शुल्कका दरहरु (रु) |
|---|---|---|
| १ | नाता प्रमाणित गर्ने | २०० |
| २ | नागरिकता तथा नागरिकताको प्रतिलिपी लिनका लागि सिफारिस गर्ने | |
| २.१ | बंशजको आधारमा नागरिकता सिफारिस | १०० |
| २.२ | नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएकी विदेशी महिलाको नागरिकता सिफारिस | ५०० |
| २.३ | नागरिकता संशोधन सिफारिस | ५०० |
| २.४ | नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिस | ३०० |
| ३ | बहाल करको लेखाजोखा सिफारिस गर्ने | - |
| ४ | कोठा खोल्न रोहबरमा वस्ने | ३०० |
| ५ | मोही लगत कट्टाको सिफारिस गर्ने | ३०० |

| | | |
|---|---|---|
| ६ | घर जग्गा करको लेखाजोखा गरी सिफारिस गर्ने | - |
| ७ | जन्म मिति प्रमाणित गर्ने | ३०० |
| ८ | व्यापार व्यवसाय बन्द भएको, सञ्चालन नभएको वा व्यापार व्यवसाय हुँदै नभएको सिफारिस गर्ने | १०० |
| ९ | मिलापत्रको कागज गराउने निवेदन दर्ता गर्न सिफारिस गर्ने | १०० |
| १० | विवाह प्रमाणित तथा अविवाहित प्रमाणित गर्ने | ३०० |
| ११ | स्वास्थ्य उपचारको सिफारिस गर्ने | निशुल्क |
| १२ | अँग्रेजी माध्यममा सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने | ५०० |
| १३ | घरबाटो सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने | |
| १३.१ | ऋषिङ्ग गाउँपालिका वडा नं. १ को झापुटार क्षेत्रमा | १००० |
| १३.२ | १३.१ मा उल्लेख भए बाहेकको अन्य क्षेत्र | ५०० |
| १४ | व्यक्तिगत विवरण प्रमाणित गर्ने/चालचलन प्रमाणित गर्ने | ५०० |
| १५ | पूर्जामा घर कायम गर्ने सिफारिस गर्ने/नागरिकता नं. र फोटोटाँस सिफारिस समेत | ५०० |
| १६ | फरक-फरक नाम, थर, जन्म मिति प्रमाणित तथा दुवै नाम गरेको व्यक्ति एकै हो भन्ने सिफारिस | ५०० |
| १७ | नाम, थर जन्म मिति संशोधनको सिफारिस गर्ने | ५०० |
| १८ | जग्गा धनीपूर्जा हराएको सिफारिस गर्ने | ३०० |
| १९ | कागज र मन्जुरीनामा प्रमाणित गर्ने | ३०० |
| २० | कित्ताकाट गर्न सिफारिस गर्ने | ३०० |
| २१ | संरक्षक प्रमाणित गर्ने तथा संस्थागत र व्यक्तिगत संरक्षक सिफारिस गर्ने, | १५० |
| २२ | जीवितसँगको नाता प्रमाणित गर्ने | २०० |
| २३ | हकवाला वा हकदार प्रमाणित गर्ने | ३०० |
| २४ | नामसारी गर्न सिफारिस गर्ने | ३०० |
| २५ | जग्गाको हक सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने | ३०० |
| २६ | मृतकसँगको नाता प्रमाणित तथा सर्जमिन सिफारिस गर्ने | २०० |
| २७ | उद्योग ठाउँसारी गर्न सिफारिस गर्ने | १००० |
| २८ | जीवित रहेको सिफारिस गर्ने | ३०० |
| २९ | विद्यालय खोल्न सिफारिस र अनुमति गर्ने | ५०० |
| ३० | सम्पत्ति मूल्याङ्कन/आयश्रोत सिफारिस प्रमाणित गर्ने | |
| ३०.१ | रु २५ लाख भन्दा कमको हकमा | १,००० |
| ३०.२ | रु २५ लाख देखी रु ५० लाख भन्दा कमको हकमा | १०,००० |
| ३०.३ | रु ५० लाख देखी रु १ करोड भन्दा कमको हकमा | १५,००० |
| ३०.४ | रु १ करोड देखी माथिको हकमा | २०,००० |

| | | |
|---|---|---|
| ३१ | विद्यालयको कक्षा थप गर्न सिफारिस गर्ने | ३०० |
| ३२ | पालन पोषणको लागि सिफारिस गर्ने | - |
| ३३ | वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सिफारिस गर्ने | ५०० |
| ३४ | आर्थिक अवस्था कमजोर वा विपन्नता प्रमाणित गर्न वा आर्थिक अवस्था बलियो वा सम्पन्नता प्रमाणित गर्ने | विपन्नताको लागि निशुल्क र सम्पन्नताको लागि रु ५०० |
| ३५ | विद्यालय ठाउँसारी गर्न सिफारिस गर्ने | ५०० |
| ३६ | धारा तथा विद्युत जडानको लागि सिफारिस गर्ने | धारा जडानको रु ३०० र विद्युत जडानको रु ३००, थ्रीफेज लाइनको हकमा रु १०००, अन्य विद्युत जडान सिफारिस ५०० |
| ३७ | स्थायी वा अस्थायी बसोबास सम्बन्धी सिफारिस | १५० |
| ३८ | पेन्सन कार्ड वा सोसम्बन्धी अन्य सिफारिस | ३०० |
| ३९ | व्यवसाय दर्ता दस्तुर | २०० |
| ४० | व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्रको नक्कल प्रति | २०० |
| ४१ | व्यवसाय दर्ता लगत कट्टाको सिफारिस | ३०० |
| ४२ | निजी क्षेत्रका रुख कटान सिफारिस | ५०० |
| ४३ | जातजाति, थर तथा दलित प्रमाणित | १०० |
| ४४ | चारकिल्ला प्रमाणित | ३०० |
| ४५ | वडा मुचुल्का दस्तुर | ३०० |
| ४६ | संस्था दर्ता सिफारिस | ३०० |
| ४७ | संस्था नविकरण सिफारिस | २०० |
| ४८ | व्यक्तिगत घटना दर्ता विलम्ब शुल्क | ५० |
| ४९ | व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रतिलिपि | २०० |
| ५० | व्यक्तिगत घटना दर्ता संशोधन | ५०० |
| ५१ | व्यक्तिगत चरित्र प्रमाणित | ५०० |
| ५२ | बन्दुक नवीकरण दस्तुर | ३०० |
| ५३ | करचुक्ता सिफारिस नेपालीमा | ३०० |
| ५४ | करचुक्ता सिफारिस अंग्रेजीमा | ५०० |
| ५५ | रुखकटान सिफारिस | १५०० |
| ५६ | मुलदर्ता सिफारिस | ५०० |
| ५७ | न्यायिक समितिमा निवेदन दर्ता | १०० |
| ५८ | न्यायिक समितिको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि लिने | २०० |
| ५९ | मिलापत्र दस्तुर | ५०० |
| ६० | अन्य सिफारिस | १०० |

**अनुसूची - १२ (पर्यटन शुल्क)**

गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने पर्यटकहरुबाट प्रतिदिन रु ५० प्रतिव्यक्तिका दरले पर्यटन शुल्क लगाउने र असुलउपर गर्नेछ ।

**अनुसूची - १३ (सडक मर्मत शुल्क तथा नक्सा पास दस्तुर)**

**१. सडक मर्मत शुल्क :**

ऋषिङ्ग गाउँपालिका क्षेत्रभित्र नयाँ व्यक्तिगत धारा जडान गर्दा वा मर्मत गर्दा र ड्रेनको निकास वा अन्य कुनै कारणले सडक खाडल पार्नु पर्ने वा सडक काट्नु पर्ने भएमा त्यस्तो कार्य समाप्त भएपछि सो फुटाइएको वा काटिएको सडकलाई पूर्व अवस्थामा ल्याउन सो कार्य गर्ने व्यक्तिबाट निम्नानुसारका दरले मर्मत शुल्क लिई सडक काट्ने अनुमति दिइनेछ । तर खानेपानीको लागि नयाँ धारा जडान र अत्यावश्यकीय ढल निकास गर्नुपर्ने अवस्था बाहेक अन्य अवस्थामा पिच सडक काट्ने अनुमति दिइने छैन ।

(क) सडकको पिच काट्नु पर्ने भएमा रु. १,५००।- (अक्षरुपी एक हजार पाँच सय मात्र) ।

(ख) पिच सडक भएतापनि उक्त पिच सडकको पिच काट्न वा फुटाउन नपर्ने भएमा रु. १०००।- ( अक्षरुपी एक हजार मात्र) ।

(ग) जिर्ण अवस्थामा रहेका पिच सडक काट्न पर्ने वा फुटाउन पर्ने भएमा रु. १०००।- (अक्षरुपी एक हजार मात्र) ।

(घ) ग्राभेल वाटो फुटाउन वा काट्न पर्ने भएमा रु. १०००।- (अक्षरुपी एक हजार मात्र) ।

(ङ) कच्चि बाटो, गोरेटो बाटो, अन्य जग्गामा खन्नु वा काट्नु परेमा रु. ४००।- (अक्षरुपी चार सय मात्र) ।

(च) खानेपानी धारा जडानको जडान कार्य समाप्त भएपछि अनिवार्य रुपमा च्याम्बर निर्माण गर्नुपर्ने ।

**२. नक्सापास दस्तुर :-**

ऋषिङ्ग गा.पा. क्षेत्र भित्र निर्माण हुने आधुनिक घरहरुको लागि निम्नानुसारको नक्सापास दस्तुर वापत निम्नानुसारका लाग्नेछ ।

(क) नक्सापास निवेदन फारामको रु. ५००।- (अक्षरुपी पाँच सय रुपैया मात्र) ।

(ख) वेसमेन्ट (ल्पिन्थ एरिया), भुई तलामा प्रति वर्ग फिट रु. ५।- (अक्षरुपी पाँच रुपैंया मात्र) ।

(ग) पहिलो तलामा प्रति वर्ग फिट रु. ६।- (अक्षरुपी छ रुपैंया मात्र) ।

(घ) दोस्रो, तेस्रो, चौथो र सो भन्दा माथि तलामा प्रति वर्ग फिट रु. ८।- (अक्षरुपी आठ रुपैंया मात्र) ।

(ङ) नक्सा नियमितको सन्दर्भमा निवेदन फारामको रु. ५००।- (अक्षरुपी पाँच सय रुपैंया मात्र), वेसमेन्ट (ल्पिन्थ एरिया), भुई तलामा प्रति वर्ग फिट रु. ३।- (अक्षरुपी तिन रुपैंया मात्र), पहिलो तलामा प्रति वर्ग फिट रु ४।- (अक्षरुपी चार रुपैंया मात्र) । दोस्रो, तेस्रो, चौथो र सो भन्दा माथि तलामा प्रति वर्ग फिट रु ६।- (अक्षरुपी छ रुपैंया मात्र) ।

(च) बजार क्षेत्रमा निर्माण हुने पर्खालको प्रति वर्ग फिट रु ०.५०।-  (अक्षरुपी पचास पैसा मात्र) ।

(छ) अस्थाई छाप्रो निर्माण गर्दा अस्थाई नक्सा पेश गर्नु पर्ने साथै ५०० वर्ग फिटसम्मका छाप्रोको लागि निर्माण दस्तुर रु २५००।- (अक्षरुपी दुई हजार पाँच सय मात्र ) लगाउने र ५०० वर्ग फिट भन्दा बढी वर्ग फिट भएका छाप्रोको ५०० वर्ग फिटसम्मको हकमा माथि उल्लेख भएबमोजिम र सोभन्दा बढी हुन आउने क्षेत्रफलको हकमा प्रति वर्ग फिट रु ३.००।- (अक्षरुपी तीन रुपैया मात्र ) का दरले लिने । कुनै कित्तामा एक भन्दा बढी छाप्रो बनाउनु पर्ने भएमा सबै छाप्रोको नक्सा पेश गरी सोही बमोजिम दस्तुर लाग्नेछ ।

(ज) गा.पा. क्षेत्रको इलाकामा ढुंगा माटो, वा इट्टा, माटोको जोडाईमा निर्माण हुने घरहरुको हकमा पनि गाउँपालिकाको अस्थायी इजाजत लिनु पर्ने व्यवस्था गरि देहाय वमोजिमको निर्माण दस्तुर लाग्नेछ ।

(अ) बजार क्षेत्रमा बन्ने घरहरुको रु ३०००।- (अक्षरुपी तिन हजार मात्र) ।

(आ) अन्य ग्रामिण सडक किनारामा बन्ने घरहरुको रु. २०००।- (अक्षरुपी दुई हजार मात्र) ।

(इ) अन्य क्षेत्रमा बन्ने घरहरुको रु १५००।- (अक्षरुपी एक हजार पाँच सय मात्र) ।

(झ) पक्की घर निर्माण ईजाजत दिदा प्लिन्थ एरिया १००० वर्ग फिट सम्म भएको घरमा रु ५,०००।- ( अक्षरुपी पाँच हजार मात्र), सो भन्दा माथीको क्षेत्रफल भएको घरमा रु १०,०००।- (अक्षरुपी दश हजार मात्र) र अस्थाई छाप्रो निर्माण ईजाजत दिदा रु २,०००।- (अक्षरुपी दुई हजार मात्र) धरौटी स्वरुप लिईनेछ । नक्सापास ईजाजतका लागि निवेदन दर्तासँगै सो वापतको नक्सापास दस्तुर र धरौटी रकम बुझाउनु पर्नेछ । त्यस्तो धरौटी रकम, निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि निर्माण कार्यबाट उत्पन्न फोहोरको सरसफाई वापत २५ प्रतिशतले हुने रकम कट्टा गरी बाकी रकम फिर्ता गरिनेछ ।